संख्या-39/2026/134/60-1-2026

(सी-1985630) (पार्ट-1)

प्रेषक,

प्रेम प्रकाश सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक:: 17 अगस्त, 2026

विषय:- केन्द्र प्रायोजित योजना नॉन इंस्टिट्यूशनल केयर (स्पान्सरशिप, फास्टर केयर व आफ्टर केयर) योजना हेतु केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त Mother Sanction की धनराशि के सापेक्ष केन्द्रांश व राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-1054/निदे0म0क0/प्रोबे0/स्पा०-09(टी०सी०)/2026-27, दिनांक 11.08.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र प्रायोजित योजना स्पान्सरशिप के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त केन्द्रांश व उसके सापेक्षित राज्यांश हेतु लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-18-नॉन इन्स्टिट्यूशनल केयर (स्पान्सरशिप, फास्टर केयर व आफ्टर केयर) योजना (के०60/रा०40-के०रा०) मानक मद-20-सहायता अनुदान (गैर वेतन) में कुल धनराशि रू० 25,78,08,788/- (रूपये पच्चीस करोड़ अठहत्तर लाख आठ हजार सात सौ अठ्ठासी मात्र) (के०+रा०) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये निदेशक, महिला कल्याण के निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) निदेशालय, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक **28.03.2026** एवं 26.09.2025 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) निदेशालय, महिला कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशालय, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशालय, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(6) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(7) निदेशालय, महिला कल्याण द्वारा योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) निदेशालय, महिला कल्याण द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में केन्द्रांश की धनराशि सीधे योजना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में खुले खाते में प्राप्त होगी। अतएव इन योजनाओं में प्राप्त केन्द्रांश की पुष्टि वित्त विभाग से कराये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अतः योजनान्तर्गत भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने के संबंध में निदेशालय, महिला कल्याण स्वयं संतुष्ट हो लेगा।

(9) निदेशालय, महिला कल्याण द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों में यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त योजना के अन्तर्गत आच्छादित सभी मदों /घटकों का उल्लेख स्पष्ट रूप से वित्तीय स्वीकृति में करते हुए SNA को प्रेषित की जायेगी तथा SNA द्वारा विभिन्न स्तरों पर (इम्प्लीमेंटिंग ऐजेंसी तक) लिमिट आवंटित की जायेगी तथा वित्तीय स्वीकृति की प्रतिलिपि साइबर ट्रेजरी के वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(10) निदेशालय, महिला कल्याण द्वारा समस्त बिलों का परीक्षण इम्प्लीमेंटिंग ऐजेंसी एवं जनपदीय एडमिन द्वारा किया जायेगा, अतः SNA स्तर पर पुनः परीक्षण की आवश्कता नहीं होगी। SNA द्वारा मात्र समेकित बिल का अग्रसारण किया जायेगा। आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार बिल साइबर ट्रेजरी को अग्रेषित किये जायेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 25,78,08,788 (रुपये पच्चीस करोड़ अठहत्तर लाख आठ हजार सात सौ अट्ठासी मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-49 लेखा शीर्षक-2235021020118-नॉन इंस्टीटूशनल केयर-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्पांसरशिप/फोस्टर केयर-आफ्टर केयर (के.60/रा.40-के.+ रा.)-मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू०ओ० संख्या-E-4-96-X-2026-27, दिनांक 17 अगस्त, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(प्रेम प्रकाश सिंह)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश,प्रयागराज/लखनऊ।
3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित साइबर कोषागार।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in